# न्यायालयः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ0ग0

## //दांडिक कार्य विभाजन आदेश//

क्यू. / दां.का.वि. / मु.न्या.मजि. / 2025 बैकुण्ठपुर दिनांक 25.01.2025

मैं साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग., दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. एवं माननीय सत्र न्यायाधीश बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया के नियंत्रण के अधीन रहते हुये राजस्व जिला कोरिया में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य कार्य के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा :—

| स्तम्भ क्रमांक 1 | स्तम्भ क्रमांक 2 | स्तम्भ क्रमांक 3 | स्तम्भ क्रमांक 4 |
|---|---|---|---|
| 1— | सुश्री साक्षी दीक्षित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग. | 1— आरक्षी केन्द्र बैकुण्ठपुर तथा चौकी बचरा पोड़ी<br><br>2— आरक्षी केन्द्र चरचा | 1— स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित समस्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों (धारा 74, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।<br><br>2— यातायात बैकुण्ठपुर से उद्भुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br><br>3— **स्तम्भ क्रमांक 3 के अंतर्गत आने वाले सभी आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना तथा जिला कोरिया के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।**<br><br>4— कॉलम 3 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले परिवाद (धारा 74, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता एवं ऐसे मामले जिनके संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर), घरेलू हिंसा एवं महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत पेश परिवाद का निराकरण करना।<br><br>5— आबकारी वृत्त बैकुण्ठपुर से उदभूत होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण करना एवं राजस्व जिला कोरिया स्थित समस्त **आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकारिता में उदभूत छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनमें 5 बल्क लीटर से अधिक मात्रा में मादक द्रव्य जप्त किया जाना अतर्वलित है, का निराकरण करना।**<br><br>6— राजस्व जिला कोरिया के वन परिक्षेत्र बैकुण्ठपुर एवं वन परिक्षेत्र सोनहत व देवगढ के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना।<br><br>7— राजस्व जिला कोरिया के अंतर्गत उद्भुत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 8– राजस्व जिला कोरिया के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी अधिनियम) 1978 के मामले से संबंधित समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।<br><br>9– राजस्व जिला कोरिया के अंतर्गत उपत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br><br>10– राजस्व जिला कोरिया मे अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किये जाने वाले परिवाद का निराकरण करना।<br><br>11– अन्य समस्त आपराधिक प्रकरण परिवाद जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्यतः प्राप्त है।<br><br>12– मान्नीय उच्चतम न्यायालय भारत संघ एवं मान्नीय उच्च न्यायालय तथा मान्नीय सत्र न्यायालय द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देश तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। |
| 2– | श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग. | आरक्षी केन्द्र पटना, पु.स. के. पांडोपारा एवं कटकोना | 1– कॉलम 3 मे उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भुत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों, खात्मा प्रकरणों (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।<br><br>2– कॉलम 3 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद, घरेलू हिंसा एवं महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत पेश परिवाद का निराकरण करना।<br><br>3– कॉलम 3 के आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के तहत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नाप तौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br><br>4– मान्नीय रजिस्ट्री का ज्ञापन क्रमांक 1815/दो–15–2/2012 बिलासपुर दिनांक 07.03.2013 के अनुसार राजस्व जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर के क्षेत्राधिकारिता में आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न अंतर्गत धारा 354, 354 ए,बी,सी,डीए 509 भा.दं.सं. तथा वर्तमान मे धारा 74, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता के आपराधिक प्रकरणों, परिवाद का निराकरण करना।<br><br>5– माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सौपे गये मामलों का निराकरण करना।<br><br>6– आरक्षी केन्द्र चरचा एवं सोनहत तथा चौकी रामगढ़ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना। |
| 3– | श्री अमन तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग. | आरक्षी केन्द्र सोनहत एवं चौकी रामगढ़ | 1– स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले सभी दाण्डिक मामलों, खात्मा प्रकरणों (धारा 74, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2— स्तंभ क्रमांक 3 मे उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले सभी आबकारी अधिनियम से संबंधित मामले (5 बल्क लीटर से अधिक मात्रा में मादक द्रव्य जप्ती से उदभूत प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना।<br><br>3— स्तंभ क्रमांक 3 मे उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से संबंधित प्रकरणों से सहित उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले खात्मा का निराकरण करना। (केवल उन प्रकरणों के अतिरिक्त जिनके संज्ञान लेने का अधिकार अनन्यतः मान्नीय सत्र न्यायालय एवं माननीय विशेष न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।)<br><br>4— कॉलम 3 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले परिवाद (धारा 74, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर), घरेलू हिंसा एवं महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत पेश परिवाद का निराकरण करना।<br><br>5— कॉलम 3 के आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के तहत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम, नाप तौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br><br>6— माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।<br><br>7— आरक्षी केन्द्र बैकुण्ठपुर, पटना तथा चौकी बचरा पोड़ी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना। |

**<u>आवश्यक टिप्पणी</u>** :–

1– ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो या शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर, कोरिया, छ. ग. के न्यायालय में प्रस्तुत होगें।

2– माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा अभियोग पत्र ग्रहण किये जाने बावत तथा अभियोग पत्र की सुस्पष्ट पठनीय प्रति, कम्प्यूटर प्रति/टंकित प्रति, साक्षियों के फोटो जप्तशुदा संपत्ति चिकित्सीय रिपोर्ट, विशेषज्ञ रिपोर्ट एवं अन्य आदि के संबंध में दिए गए समस्त निर्देशो का, न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियोग पत्र ग्रहण करते समय कठोरता से पालन करेगें।

3– न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिन्हें संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्राप्त है), अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में विधि अनुसार सक्षम होने पर उनकी सुविधा के अनुसार नियमित अंतराल में माह में कम से कम एक बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर माननीय सत्र न्यायाधीश बैकुण्ठपुर को सूचित करते हुये मोबाईल कोर्ट/चलित न्यायालय (दैनिक न्यायिक कार्य को प्रभावित किये बिना) आयोजित करेगें।

4– न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर होने, शासकीय दौरे पर होने एवं स्थानांतरण होने एवं अन्य किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित रहने पर परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अत्यावश्यक कार्य संपादित करेगें जिसमें रिमांड, वारंट, वारंट निरस्तीकरण, सुपुर्दनामा, जमानत, त्वरित सुनवाई आवेदन का निराकरण किया जाना तथा साक्ष्य लिया जाना शामिल है।

5– अत्यावश्यक कार्यो में अन्य न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जाना शामिल नहीं है, परन्तु संक्षिप्त विचारण भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125 (क) एवं मोटर यान अधिनियम, आबकारी अधिनियम या अन्यथा स्वीकारोक्ति के लघु ऐसे प्रकरण जिनमें स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहते हो, मात्र उन्हीं प्रकरणों में अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा।

6– न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य निष्पादित करना वाले मजिस्ट्रेटगण प्रकरण की कार्यवाही समय, विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 514 के उपबंधों की अवहेलना ना हो।

7– यदि किसी विषय के संबंध में कार्यविभाजन आदेश में उल्लेख न हुआ हो तो ऐसे विषय जो राजस्व तहसील बैकुण्ठपुर से संबंधित हो– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग. को सुनवाई का अधिकार होगा।

**(साक्षी दीक्षित)**
**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**बैकुन्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)**

# परिशिष्ट “अ”

स्वीकृत अवकाश /स्थनांतरण पर रहने पर कार्य व्यवस्था विवरण :–

| स्तम्भ क्रमांक 1 | स्तम्भ क्रमांक 2 | स्तम्भ क्रमांक 3 |
|---|---|---|
| न्यायिक अधिकारी का नाम जो अवकाश पर या स्थानांतरण के अधीन यदि रहेगे तो । | | |
| सुश्री साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर | श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | श्री अमन तिग्गा, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर |
| श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | श्री अमन तिग्गा, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | सुश्री साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर |
| श्री अमन तिग्गा, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | श्री राजेश खलखों, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | सुश्री साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर |

<u>टीप</u> :–

1– उक्त कार्य व्यवस्था विवरण मजिस्ट्रेट के अवकाश स्वीकृत होने या स्थानांतरण होने पर प्रभावशील है ।

2– स्तंभ क्र. 1 में वर्णित मजिस्ट्रेट यदि अवकाश पर रहते हैं या स्थानांतरण होने के पश्चात, उनके स्थान पर जब तक कोई अन्य मजिस्ट्रेट भार ग्रहण नहीं कर लेते, तब स्तंभ क्र 2 से 3 तक क्रम एवं क्रमांक अनुसार वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयीन कार्य का सम्पादन करेंगे ।

(साक्षी दीक्षित)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैकुन्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)

# // परिशिष्ट "ब" //

आगामी आदेश तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत संस्वीकृति और कथन लेखबद्ध करने संबंधी कार्य विभाजन विवरणः-

| स्तम्भ क्रमांक 1 | स्तम्भ क्रमांक 2 | स्तम्भ क्रमांक 3 | स्तम्भ क्रमांक 4 |
|---|---|---|---|
| **आरक्षी केन्द्र का नाम** | | | |
| आरक्षी केन्द्र बैकुण्ठपुर, थाना चरचा एवं आरक्षी केन्द्र सोनहत, चौकी रामगढ़ । | श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | श्री अमन तिग्गा न्यायिक मजि. द्वितीय श्रेणी बैकुण्ठपुर | सुश्री साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर |
| आरक्षी केन्द्र पटना, पु.स.के. पांडोपारा एवं कटकोना , थाना अजाक बैकुण्ठपुर | श्री अमन तिग्गा न्यायिक मजि. द्वितीय श्रेणी बैकुण्ठपुर | श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | सुश्री साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर |
| आरक्षी केन्द्र बैकुण्ठपुर, चरचा, थाना अजाक से उत्पन्न धारा धारा 74 से धारा 79 भारतीय न्याय संहिता के अपराध | श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | श्री अमन तिग्गा न्यायिक मजि. द्वितीय श्रेणी बैकुण्ठपुर | सुश्री साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर |
| आरक्षी केन्द्र पटना, पु.स.के.–पांडोपारा एवं कटकोना, आरक्षी केन्द्र सोनहत एवं चौकी रामगढ से उत्पन्न धारा 74 से धारा 79 भारतीय न्याय संहिता के अपराध | श्री अमन तिग्गा न्यायिक मजि. द्वितीय श्रेणी बैकुण्ठपुर | श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | सुश्री साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर |

<u>टीप</u> :–

1. धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कथन लेखबद्ध किये जाने बाबत प्रस्तुत होने वाले आवेदन स्तम्भ क्रमांक 2 में वर्णित मजिस्ट्रेटगण द्वारा स्मम्भ क्र 1 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के लिए लेखबद्ध किये जायेंगे । यदि स्तम्भ क्र 2 में वर्णित मजिस्ट्रेट अवकाश/स्थानांतरण पर है, तो स्तम्भ क्र 3 से 4 तक क्रम अनुसार कार्य निष्पादित किया जायेगा । मजिस्ट्रेटगण कथन विधि अनुसार लेखबद्ध कर संबंधित न्यायालय को सीलबन्द कर प्रेषित करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे ।

2. धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यविभाजन में उल्लेख न होने या शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के न्यायालय द्वारा कथन लेखबद्ध किये जायेंगे ।

(साक्षी दीक्षित)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैकुन्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)

## //परिशिष्ट "स" //

आगामी आदेश तक धारा 52 (क) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत सेंपलिंग एवं इन्वेंट्री की कार्यवाही करने संबंधी

कार्य विभाजन विवरणः-

| स्तम्भ क्रमांक 1 | स्तम्भ क्रमांक 2 | स्तम्भ क्रमांक 3 | स्तम्भ क्रमांक 4 |
|---|---|---|---|
| **आरक्षी केन्द्र का नाम** | | | |
| आरक्षी केन्द्र बैकुण्ठपुर, सोनहत एवं चौकी रामगढ़ | श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | श्री अमन तिग्गा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बैकुण्ठपुर | सुश्री साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर |
| आरक्षी केन्द्र चरचा, आरक्षी केन्द्र पटना, पु.स.के. पांडोपारा एवं कटकोना | श्री अमन तिग्गा न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बैकुण्ठपुर | श्री राजेश खलखो, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर | सुश्री साक्षी दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, बैकुण्ठपुर |

<u>टीप</u> :—

1. धारा 52 (क) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत सेंपलिंग एवं इन्वेंट्री की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन स्तम्भ क्रमांक 2 में वर्णित मजिस्ट्रेटगण द्वारा स्तम्भ क्र 1 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के लिए लेखबद्ध किये जायेंगे । यदि स्तम्भ क्र 2 में वर्णित मजिस्ट्रेट अवकाश/स्थानांतरण पर है, तो स्तम्भ क्र 3 से 4 तक क्रम अनुसार कार्य निष्पादित किया जायेगा । मजिस्ट्रेटगण कथन विधि अनुसार लेखबद्ध कर संबंधित न्यायालय को सीलबन्द कर प्रेषित करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे ।

2. धारा 52 (क) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत सेंपलिंग एवं इन्वेंट्री की कार्यवाही हेतु कार्यविभाजन में उल्लेख न होने या शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के न्यायालय द्वारा कथन लेखबद्ध किये जायेंगे ।

(साक्षी दीक्षित)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बैकुन्ठपुर, जिला—कोरिया (छ.ग.)

पृ.क्र.—............./मु.न्या.मजि./2025 बैकुण्ठपुर दिनांक 25/01/2025

1— प्रस्तुतकार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2— प्रस्तुतकार अतिरिक्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3— प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

4— जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

5— पुलिस अधीक्षक बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) छ.ग. को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6— वन मण्डलाधिकारी, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

7— जिला आबकारी अधिकारी, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

8— उप संचालक जिला अभियोजन बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया छ.ग. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अभियोजन अधिकारीगण को सूचित करें।

9— अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, जिला कोरिया, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10— प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुण्ठपुर को प्रेषित।

11— सहायक प्रोग्रामर, जिला न्यायालय बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

12— प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

**(साक्षी दीक्षित)**
**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**बैकुन्ठपुर, जिला—कोरिया (छ.ग.)**